प्रतिलिपि ... दि० - 11-08-22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,ज़नपद :देवरिया,तहसील :देवरिया
वाद संख्या :-11347/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205200111347
संजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

आवेदक संजय कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद चेयरमैन राधिका देवी कैलाश प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट पिपरा चन्द्रभान देवरिया द्वारा साकिन सवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, जनपद– देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत वाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यतः यह कहा है कि ग्राम–सवरेजी खरग स्थित आ0सं0226 मि. रकबा 0.488 हे0 में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए, उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत वाद/आवेदन के माध्यम से तहसील आख्या तलब की गयी। तहसील आख्या दिनांक–15.07.2022/16–07–2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक–16.07.2022 को आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है, प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम–सवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, में स्थित आराजी संख्या–226मि. रकबा–0.488हे0, संजय पुत्र कैलाश के नाम संक्रमणीय भूमि के रूप में अंकित है । मौके पर उक्त भूमि चारो तरफ से बाउण्ड्रीवाल चली हुई है, जिसमें कृषि,बागवानी,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन नहीं किया जाता है । आ0सं0226मि. रकबा 0.488हे0 को गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैनें तहसील आख्या एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम–सवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, की उद्धरण खतौनी फ0 1428–1433, मौके का दृष्टिचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उद्धरण खतौनी में आवेदक का नाम आराजी संख्या–226मि. रकबा–0.488हे0, पर तनहा दर्ज है। आवेदक द्वारा भी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन पत्र में दाखिल किये गये सारे साक्ष्य/सबूत सही एवं सत्य हैं तथा विवादित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है । आवेदक द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या–3500/01/जी.यू.00045 दिनांक 30.07.2022 द्वारा मु087000/–रू0 को जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या एवं मौके के दृष्टिचित्र के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा कृषि/मत्स्य, पशुपालन, बागवानी, आदि से इतर प्रश्नगत भूमि रकबा 0.488 हे0, जिसमें आवेदक गैर कृषिक कार्य शैक्षणिक कार्य के रूप में कब्जा है। ऐसी स्थिति में तहसील की उक्त दिनांकित आख्या के आधार पर ग्राम–सवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, तहसील व जिला देवरिया के आराजी संख्या–226मि. रकबा–0.488हे0, भूमि को अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसील आख्या दिनांक–15.07.2022/16.07.2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक–16.07.2022 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है, के अनुरूप ग्राम–सवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, तहसील व जिला–देवरिया की खतौनी फसली 1428 लगायत 1433 वर्ष के आराजी संख्या–226मि. रकबा–0.488हे0, भूमि जो संजय कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद के नाम से अंकित है, को कृषि, बागवानी, पशुपालन, (जिसमें कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल है) से इतर आवासीय महत्व की होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की किया में है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा प्रस्तावित गाटे के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा साथ ही अभिलेखों में अमलदामद हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार देवरिया व उप निबन्धक देवरिया को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 11.08.2022

Saurabh Singh 11/08/22
(सौरभ सिंह)
उप जिलाधिकारी
देवरिया।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्या० उप जिला अधिकारी
देवरिया

25/8/22

न्यायालय उपजिलाधिकारी, देवरिया

बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय संवरेजी खरग, बेलवां बाजार देवरिया द्वारा राधिका देवी कैलाश प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट पिपरा चन्द्रभान	वाद सं0– 33 /अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अ0 ग्राम–संवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजजहांपुर, तहसील व जनपद – देवरिया
बनाम	
सरकार	

नकल आदेश दिनांक 21/2/13

आदेश

प्रस्तुत वाद उ0प्र0 जमी0 विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत दाखिल कर कहा गया है कि आराजी नं0– 226 मि0 रकवा 1.013 हे0 वादी बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय संवरेजी खरग बेलवां बाजार, देवरिया द्वारा राधिका देवी कैलाश प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट पिपरा चन्द्रभान, देवरिया ट्रस्टी/चेयरमैन संजय कुमार की भूमिधरी की आराजी है तथा बतौर भूमिधर काबिज दाखिल चले आ रहे है। उक्त भूमि महाविद्यालय से सम्बन्धित है एवं अकृषिक भूमि है जो जोती–बोयी नहीं जाती है। उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है इसलिए अकृषिक घोषित किया जाना चाहिए। आराजी नं0– 226 मि0 रकवा 1.013 हे0 महाविद्यालय निर्माण के उद्देश्य से लिया गया है। अन्त में कहा गया है कि आराजी नं0–226 मि0 रकवा 1.013 हे0 को अकृषिक घोषित किया जावे एवं उक्त भूमि का लगान समाप्त किया जावे।

मैंने वादी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र के आधार पर तहसीलदार देवरिया से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार देवरिया की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि ग्राम–संवरेजी खरग में स्थित आराजी नं0– 226 मि0 रकवा 1.013 हे0 बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय संवरेजी खरग बेलवां बाजार देवरिया द्वारा राधिका देवी कैलाश प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट पिपरा चन्द्रभान देवरिया ट्रस्टी/चेयरमैन संजय कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद ग्राम व पोस्ट–पिपरा चन्द्रभान देवरिया के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी संलग्न है। मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय जांच किया गया। उक्त भूमि पर भवन निर्माण आरम्भ किया गया है। भूमि गैर कृषिक प्रयोग में है। अतः आराजी नं0–226 मि0 रकवा 1.013 हे0 भूमि गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति प्राप्त है। तहसीलदार देवरिया के रिपोर्ट तथा पत्रावली के अवलोकन से आराजी नं0– 226 मि0 रकवा 1.013 हे0 भू–भाग को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत होती है।

अतः ग्राम–संवरेजी खरग, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहांपुर, तहसील व जिला–देवरिया के आराजी नं0– 226 मि0 रकवा 1.013 हे0 भू–भाग को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदारामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक देवरिया को भेजी जाय। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21/2/13

(डी0के0 गुप्ता)
उपजिलाधिकारी
देवरिया

प्रतिलिपि प्रमाणित
राजस्व अभिलेखपाल, देवरिया
19/11/2022